

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गावली, उदयपुर

श्री अमित कुमार विपक्षी करिष्काश
 पत्रावली संख्या 53,188 वी० 100/19 सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>14/2/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकालत प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्यो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>21/11/20</u> को पेश हूँ</p> <p><u>24/4/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकालत प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्यो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>29.5/20</u> को पेश हूँ</p> <p><u>29/5/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकालत प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्यो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>24.7.20</u> को पेश हूँ</p>	
	<p><u>24/9/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेष्यो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>18/9/20</u> को पेश हो</p>	
	<p><u>18/9/20</u> पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एंटीसेप्शन द्वारा अतिरिक्त एक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>6/11/20</u> को पेश हो</p>	
	<p><u>6/11/20</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेष्यो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>12/10/21</u> को पेश हो</p>	
	<p><u>12/2/21</u> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेष्यो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>22/2/21</u> को पेश हो</p>	



22/2/21

पत्रावली पेश हुई। अविवकता वादी द्वारा उपस्थित
होकर प्रकरण में No Subjection किया। वादीगण को
आवाजे दिलवाई गई। वादीगण अनुपस्थित हैं। समय
आयें 5:00 हो चुका है। अतः वादीगण अनुपस्थित रहने
पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से
कम हों।

निर्णय चुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मवाल